



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022022-233387
CG-DL-E-14022022-233387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]
No. 110]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2022/माघ 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2022/MAGHA 25, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 112(अ)—वायुयान (खतरनाक सामान की दुलाई) नियम, 2003 को और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना सं. सा.का.नि. 718 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उमरे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भार के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीन दिन के अवधान से पूर्व आक्षेप और मुद्राव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 5 अक्टूबर, 2021 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं मुद्राओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान (खतरनाक सामान की दुलाई) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (खतरनाक सामान की दुलाई) (संशोधन) नियम, 2022 है।

2. ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 में-

(क) नियम 2 में, -

- (i) उपबंध (5) में "नोबिसम" शब्द के स्थान पर "परिसंकट" शब्द को रखा जाएगा;
- (ii) उपबंध (13) में "कनेक्शन" शब्द के स्थान पर "संरोधन" शब्द रखा जाएगा।
- (iii) खंड (16) में, उप-बंध (ख) में, "फिचरम" शब्द के स्थान पर "उंगली" शब्द रखा जाएगा।

(ख) नियम 9 क में, उप-नियम (2) में, खंड (ii) में, "नौभार परेषक" शब्दों के स्थान पर, "नौभार परेषक एवं उसका एजेंट, यदि कोई हो तो" शब्दों को रखा जाएगा।

(ग) नियम 10 क में, "अधिकारी" शब्द के स्थान पर, "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा।

(घ) नियम 12क में, उप-नियम (9) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(9) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा त्रिनिदिष्टानुसार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से किया जाएगा।"

[फा. सं. ए. वी.-11012/2/2021-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संवत्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 (ड) तारीख 5 मार्च, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 03 मार्च, 2016 में सा.का.नि. 275 (ड) तारीख 25 फरवरी, 2016 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 112(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, was published as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 718 (E), dated the 30th September, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th October, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period so specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, namely:—

1. These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) (Amendment) Rules, 2022.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003. —

(A) In rule 2, —

- (i) in clause (5), for the word "risk", the word "hazard" shall be substituted;
 - (ii) in clause (13), for the word "conainment", the word "containment" shall be substituted;
 - (iii) in clause (16), in sub-lause (b), for the word "fingures", the word "fingers" shall be substituted.
- (B) In rule 9A, in sub-rule (2), in clause (ii), for the word "shipper", the words "shipper and his agent, if any" shall be substituted.
- (C) In rule 10A, for the word "officer" wherever it occurs, the word "person" shall be substituted.
- (D) In rule 12A, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(9) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.",

[F. No. AV-11012/2/2021-DG]

SATYENDERA KUMAR MISHRA, J. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 206(E), dated the 5th March, 2003 and last amended vide G.S.R. 275(E) dated 25th February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd March, 2016.